

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्री
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बली

-आदेश-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बली व नूअमि कृष्ण
श्री रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री / चाखन तहसीलदार की अपुजरा के आधार पर राजस्थान
राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बली तहसील श्री जिला राजसमेत
की जनसंख्यी संख्या 2077 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>बली</u>	<u>138, 139, 180, 842, 843, 844, 845, 846 429, 873</u>	<u>श्रीताडेवी पालि डिलीट</u>	<u>श्रीताडेवी पालि डिलीट</u>

Shr
सहायक कलक्टर एवं
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, भीम
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जिला-राजसमेत

क्रमांक :- 125/333

दिनांक :- 3/10/23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्री को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फाल्गु रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री श्री श्रीताडेवी पालि डिलीट को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

Shr
सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी, भीम
उपखण्ड अधिकारी, भीम
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
जिला-राजसमेत